16-10-26

राजस्व विविध GCMS नंबर 2021/356 बअनवान पुष्पादेवी बनाम कमला वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
13/04/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री विक्रमसिंह सोलंकी उपस्थित। खसरा नंबर 1287 के खातेदारान अप्रार्थीगण कमला वगैरा के अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत उपस्थित। खसरा नंबर 1290 के खातेदारान हीरालाल पुत्र लेखराज न्यायालय द्वारा जारी नोटिस तामील के बावजूद वकालतन/असालतन अनुपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार बाली से मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक राजस्व/2022/364 दिनाक 11.02.2022 से प्राप्त होने के पश्चात खसरा नंबर 1287 के खातेदारान के अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत द्वारा तहसीलदार बाली की प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में आपत्ति दिनांक 07.06.2022 को आपत्ति पेश की जा चुकी है। जिससे अप्रार्थी अधिवक्ता की आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 1296 रकबा 0.37 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लिये रिकॉर्डेड रास्ता नहीं होने से ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 1287 व 1290 में से रास्ते की मांग की गई। जिस प्रार्थना पत्र पर निरीक्षक भू–अभिलेख बीजापुर ने तहसीलदार बाली के आदेश की अनुपालना में दिनांक 24.01.2022 को मौका जांच कर रिपोर्ट तहसीलदार बाली को पेश की गई। तहसीलदार बाली ने भी निरीक्षक भू–अभिलेख बीजापुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया को बीजापुर के खसरा नंबर 1287 एवं 1290 में से रास्ता प्रस्तावित किया तथा बिन्दु संख्या 04 में वर्णित किया कि खसरा नंबर 1290, 1291 व 1295 मेंसे होकर वैकल्पिक रास्ता दिये जाने पर बीच में नहर की पक्की नाली आने से अवरोध हो जाता है, अर्थात् खसरा नंबर 1291 मेंसे रास्ता दिये जाने के रूट में नहर की पक्की नाली आने से रास्ता अवरोध की वजह से नहीं दिया जा सकता। खसरा नंबर 1287 के खातेदारान् ने भी अपनी आपत्ति में 1290 व 1291 के दक्षिणी पुर्वी माठ से होते हुये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना वर्णित किया है, जबकि उक्त मार्ग में नहर की पक्की नाली का अवरोध होना तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधि निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया है। ऐसे में अधिवक्ता अप्रार्थी की मांग पर पुनः रिपोर्ट मंगाया जाना न्याय संगत नहीं है, इसके साथ ही प्रकरण को लंबित रहते हुये चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है, जबकि धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अनुसार ऐसे प्रकरणो को संक्षिप्त जांच के पश्चात् अधिकतम 90 दिवस की अवधि में निस्तारण करने के आज्ञापक प्रावधान है। जिससे बाद अवलोकन पत्रावली खसरा नंबर 1287 के खातेदारान् की प्रस्तुत आपत्ति सारहीन होने से खारिज की जाती है। तथा आवेदक प्रार्थीया को उसकी धारित खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 1296 रकबा 0.37 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन के लिये तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2022/364 दिनांक 11.2.2022 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 1287 व 1290 मेंसे निम्नानुसार रास्ता देय प्रतिकर राशि अदायगी के पश्चात् उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है:–	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

हुक्म ... मय इनीशियल जज

खसरा नंबर	रकबा हैक्ट.	किस्म	रास्ते के लिये प्रस्तावित क्षैत्रफल (वर्गमीटर)	देय प्रतिकर राशि 192150 रू. प्रति हैक्टर अनुसार देय राशि	नाम खातेदार
1287	0.58	न.दो	3 X 150=450	18000	वर्तमान जमाबंदी अनुसार
1290	0.36	न.दो.	3 X 55=165	6600	वर्तमान जमाबंदी अनुसार

प्रतिकर राशि प्रार्थीया अप्रार्थीगण खातेदारान् को अदा करेगी। अप्रार्थी खातेदारान् द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चिता के पश्चात् प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रेकर्ड में बतौर गै.मु. रास्ता दर्ज करने के साथ नक्शे में तरमीम की व्यवस्था करे। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नक्शे को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner